

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एसीपी/एम-108/2018/

दिनांक:-

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 155 दिनांक 07.03.14 के द्वारा श्रीमती मंजु पारीक नर्स द्वितीय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ को स्वीकृत किये गये 18 वर्ष ए सी आदेश को निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-11/नर्स-2()/14/511 दिनांक 25.07.2014 के द्वारा क्रम संख्या 1 पर अर्कित कार्मिका के आदेश निरस्त किये गये थे को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफण14(88)एफडी/रूलस/2008-1 दिनांक 6.10.2015 में उल्लेखानुसार निदेशालय के आदेश क्रमांक 155 दिनांक 07.03.2014 को पुनर्जिवित किया जाता है ।

३१

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 6/11/2018

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एसीपी/एम-108/2018/1565

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी हनुमानगढ ।
2. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे ।
4. आदेश/निजी पत्रावली ।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर